

भ्रामक पतंजल विज्ञापनों पर उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी (SLA) को पतंजल के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों को हल करने में वफिलता के लिये फटकार लगाई है, जो दो वर्ष से अधिक समय से जारी थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नषिकरयिता के लिये SLA के नवीनतम औचितिय को खारज़ि कर दिया।

मुख्य बढि:

- **आयुष मंत्रालय** ने न्यायालय में एक हलफनामा दायर कयिा जसिमें दखियाया गया क SLA ने फरवरी 2022 में दायर एक शकियायत पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिये कहने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की, हालाँक कंपनी ने पूरे दो वर्षों तक विज्ञापन देना जारी रखा।
- पतंजल के खलिाफ याचकिया में कहा गया है क यह [ड्रग्स एंड मैजकि रेमेडीज एक्ट \(DMRA\)](#) की धारा 3 का उल्लंघन है, जो **54 बीमारयिों और स्थतियिों के लिये दवाओं के विज्ञापन पर प्रतबिध** लगाता है।
- अधनियिम उन **दवाओं और उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतबिध** लगाता है जो चमत्कारी गुणों का दावा करते हैं तथा ऐसा करना अपराध है।
- अधनियिम **"चमत्कारी उपचार"** को परभिषति करता है जसिमें **यंत्र/ताबीज़, मंत्र, कवच** और ऐसी अन्य वस्तुएँ शामिल हैं जो रोगों के उपचार के लिये अलौककि या **चमत्कारी गुणों** का दावा करती हैं।

आयुष' का अरथ

- स्वास्थय देखभाल और उपचार की पारंपरकि व गैर-पारंपरकि पद्धतयिों में **आयुर्वेद, योग, प्राकृतकि चकितिसा, यूनानी, सदिध, सोवा-रगिपा एवं होमयोपैथी** आदि शामिल हैं।
- भारतीय चकितिसा पद्धतयिों **वविधिता** सहति **महतत्वपूर्ण प्रभाव का प्रदर्शन** करती हैं।
- ये पद्धतयिों जन-आबादी के एक व्यापक वर्ग के लिये **अत्यधिक सुलभ और कफियाती** हैं।
- पारंपरकि स्वास्थय देखभाल की तुलना में, इन पद्धतयिों में **अपेक्षाकृत कम लागत** आती है।
- ये **बढते आरथकि मूल्य** को प्रदर्शति करती हैं, आबादी के एक बडे हसिसे के लिये महत्त्वपूर्ण स्वास्थय सेवा प्रदाताओं के रूप में सेवा करने की अपनी कषमता को उजागर करते हैं।